267

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

## समक्ष एम.के. सिंह

## सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 8002–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.09.2015 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 5(1)/2015–16/3848.

मै. सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज प्रा.लिमिटेड,
रोजराचक, जिला रायसेन (म.प्र.) -- अपीलार्थी

विरूद्ध

1– आबकारी आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर
2– उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, भोपाल
3– सहायक आबकारी आयुक्त, जिला रायसेन
4– सहायक आबकारी आयुक्त, जिला छिंदबाड़ा -- रिस्पोंडेन्टस्

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलाण्ट
श्री डी.के.शुक्ला, शासकीय सूची अभिभाषक, रिस्पोंडेन्टस्

## आदेश

(आज दिनांक 9../2/2017)

यह अपील आबकारी आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 5(1)/2015–16/3848 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2015 के विरूद्ध म0प्र. आबकारी अधिनियम 1915 (जिसे आगे आबकारी अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62(2) सी के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रभारी अधिकारी सी.एस.1–बी देशी मदिरा बोटलिंग प्लॉट सेहतगंज जिला रायसेन एवं प्रभारी अधिकारी सी.एस.1–बी मदिरा बोटलिंग इमलिया बोहता जिला छिंदबाडा तथा सहायक आबकारी आयुक्त जिला रायसेन, देवास जिला आबकारी शहडोल, बिदिशा,

सागर, दमोह एवं शाजापुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सी.एस.1–बी के लायसेंस के अन्तर्गत रायसेन एवं छिंदबाडा स्थित देशी मदिरा बोटलिंग इकाईयों में माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2013 में कॉच की बोतलो में 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा में बोटलिंग कर रायसेन, देवास, सागर, शहडोल, शाजापुर, दमोह एवं बिदिशा प्रदाय क्षेत्रों 50 प्रतिशत से अधिक कॉच की बोतलो में देशी मदिरा प्रदाय की गयी है। उक्त अनियमितता के कारण अपीलाण्ट को दिनांक 07.12.2013 को कारण बताओ सूचना–पत्र दिया गया, जिसका उत्तर अपीलाण्ट इकाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। विचारोपरांत आबकारी आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा अपीलाण्ट कम्पनी को म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम 1995 व टेन्डर तथा लायसेंस शर्तो का उल्लंघन का दोषी मानते हुए 1,00,000/–रूपये की शस्ति आरोपित की गयी। आबकारी आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3– प्रकरण में दोनों पक्षों के मौखिक तर्क सुने गये।

4– उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के प्रकाश में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उनके द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों का परिशीलन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण वर्ष 2013–14 का है। प्रदाय क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक कॉच की बोतलो में देशी मदिरा प्रदाय किये जाने पर अपीलाण्ट को यथासमय नोटिस दिये गये। इस संबंध में कोई प्रमाण आबकारी आयुक्त के अभिलेख में नहीं हैं। जबकि प्रकरण में माहवार समीक्षा करके तुरंत नोटिस दिया जाना चाहिए था। प्रदाय क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक कॉच की बोतलो में देशी मदिरा प्रदाय की गयी है। इस संबंध में काफी समय पश्चात नोटिस देने की स्थिति में इस नियम की मंशा पूरी नहीं होती है। अभिलेख में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके अनुसार शासन को राजस्व की हानि हुई हो न्यायदृष्टांत 1997 आर0एन0 366 (ग्वालियर सिस्टिलर्स (मेसर्स) विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा एक अन्य) में इस न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा न्यायदृष्टांत

ए0आई0आर0 1970 एस0सी0 1955 एवं ए0आई0आर0 1973 एस0सी0 1098 पर आधारित होकर निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:–

''संविदा अधिकनयम, 1872 – धारा 74 – एकपक्ष द्वारा किसी संविदा के निबंधन भंग – दूसरे पक्ष को हानि हुई, ऐसी हानि मात्र वसूल की जा सकती है – ''संत्रासकाकर शास्ति'' अधिरोपित नहीं की जा सकती है।''

शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड विरूद्ध उडीसा राज्य ए0आई0आर0 1970 एस0सी0 253 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

"But the liability to pay penalty does not arise merely upon proof of default in registering as a dealer. An order imposing penalty for failure to carry out a statutory obligation is the result of a quasi criminal proceeding, and penalty will not ordinarily be imposed unless the party obliged either acted deliberately in defiance of law or was guilty of conduct contumanactius or dishonest, or acted in conscious disregard of its obligation. Penalty will not also be imposed merely because it is lawful to do so, whether penalty should be imposed for failure to perform a statutory obligation is a matter of discretion of the authority to be exercised judicially and on a consideration of all relevant circumstances. Even if a minimum penalty is prescribed, the authority competent to impose the penalty will be justified in refusing to impose penalty, when there is a technical or venial breach of the provisions of the Act or where the breach flows from a bona-fide belief that the offender is not liable to act in the manner prescribed by the statute."

इसी प्रकार प्रकरण क्रमांक अपील 1003–पीबीआर/11 (मेसर्स ग्रेट गेलेयन लिमिटेड, धार विरूद्ध आबकारी आयुक्त) में विद्वान अध्यक्ष ने दिनांक 22.12.2011 को आदेश पारित करते हुए न्यायदृष्टांत ए0आइ0आर0 1970 एस0सी0 253, 1997 आर0एन0 366, 1989 आर0एन0 76, 1992 आर0एन0 244 एवं 1995 आर0एन0 157 के अनुसरण में आबकारी आयुक्त द्वारा आरोपित शास्ति को समाप्त करते हुए आबकारी आयुक्त का आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किया गया है तथा अपील स्वीकार की गयी है।

वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियाँ ऐसी है, जिनमें ऊपर उद्धरित न्यायदृष्टांत पूरी तरह से लागू होते हैं, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि अपीलाण्ट आसवक द्वारा जानबूझकर 50 प्रतिशत से अधिक कॉच की बोतलो में देशी मदिरा प्रदाय की गयी है। और उसके द्वारा दोषी मंशा से उक्त कृत्य किया गया है। प्रकरण में किसी फुटकर ठेकेदार का कोई नुकसान होना तथा राज्य शासन को किसी प्रकार की कोई हानि होना भी प्रतिवेदित नहीं है। आबकारी आयुक्त द्वारा उपरोक्त तथ्य पर बिना विचार किये यांत्रिकी रूप से शास्ति आरोपित की गई है, जोकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इस न्यायालय की पूर्णपीठ, खण्डपीठ एवं एकलपीठ द्वारा प्रतिपादित उपरोकत न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं होने के कारण समाप्त कियेजाने योग्य है। दर्शित परिस्थिति में आबकारी आयुक्त का पारित आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं होने से स्थिर रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त का आलोच्य आदेश दिनांक 15.09.2015 विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है।

(एम.के.सिंह )
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर